कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail :corporationraigarh@gmail.com

Phone No:- 07762-222911

क्रमांक 1386/जल वि./न.पा.नि./2026 रायगढ़, दिनांक 22/06/2026

–: ई–प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना :–

नगर पालिक निगम रायगढ़ के बोरवेल एवं हेण्ड पंप के पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु रिचार्ज पिट निर्माण कार्य, कार्य की लागत राशि **20.00/-** लाख रु., अमानत राशि 15,000.00/- रू., निविदा प्रपत्र शुल्क 750.00/- रू. हेतु प्रचलित SOR (CG PHE SOR) से कम/अधिक अथवा समान दर पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों (डी वर्ग या उससे ऊपर) से निविदा प्रपत्र "अ" में देय होगा। उपरोक्त कार्य की सामान्य शर्ते, विस्तृत निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी System Tender No. 193928 ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.govt.in /WWW.nagarnigamraigarh.com /uad.cg.gov.in से देखी जा सकती है, निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 16.07.26 अपरान्ह 04:30 बजे तक स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहर बंद पद्धति से आमंत्रित की जाती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. 1386/जल वि./न.पा.नि./2026 रायगढ़, दिनांक 22/06/26

प्रतिलिपि :–

1. मान. महापौर/सभापति/प्रभारी जल सदस्य (MIC) महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष निविदा समिति, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्रोगामर डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
5. प्रभारी जनसंपर्क नगर पालिक निगम, रायगढ़ को विज्ञापन देने कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
6. संपादक दैनिक समाचार पत्र .... को .... से.मी. में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
7. आवक शाखा, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
8. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

—: रिचार्ज पिट निर्माण कार्य के नियम एवं शर्ते :—

1. निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को निम्नानुसार दस्तावेजो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा —

   (i) स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथी तक कार्यालय में जमा होने वाले दस्तावेज की सूची —

   a) अमानत राशि (FDR/TDR) की मूल प्रति (जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष होनी चाहिए) जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो।

   b) प्रपत्र शुल्क (DD) की मूल प्रति, जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो।

   c) शपथ पत्र (राशि रु. 100 / — के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारुप में शपथ पत्र)।

   (ii) स्कैन करके ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने वाले स्वप्रमाणित दस्तावेजों की सूची —

   a) सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार (डी वर्ग या उससे ऊपर) की अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

   b) लिस्ट ऑफ टेक्नीकल पर्सनल की छायाप्रति।

   c) वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति।

   d) पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।

   e) आयकर विवरणी पत्र (एसेसमेंट वर्ष 2023—24, 2024—25, 2025—26) की छायाप्रति।

   f) बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र, कुल कार्य की लागत का 15% अथवा अधिक, होना चाहिए।

2. लिफाफे को सीलबंद कर (लिफाफे के उपर स्पष्ट रुप से निविदा क्र. लिखा होना चाहिए), स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में भेजना होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी और न ही खोली जावेगी तथा वापस कर दी जावेगी, डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।

3. निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर आगामी दिवस को मान्य किया जावेगा।

4. लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को सेलो टेप से पूर्णताः बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद सेलो टेप से चिपकाना अनिवार्य होगा।

5. निविदाकर द्वारा निविदा दर समस्त करों सहित उल्लेखित की जावे। नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा स्वीकृत निविदा दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

6. निर्धारित समयावधि में इकरारनामा नही करनें पर आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

7. नियम एवं शर्ते अनुबंध का एक भाग होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत / निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

9. कार्य के संबंध में नगर पालिक निगम अधिनियम / कार्य विभाग मेन्युअल / भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संसोधित 2022) समान रुप से प्रभावशील एवं बंधनकारी रहेगें।

10. कार्य प्रारंभ नही करने या अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा निवदाकार को आगामी 06 माह के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जावेगा।

11. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व, स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न होवें।

12. कार्यादेश देने के 07 दिवस भीतर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि जब्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

13. निविदा नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में स्थापित बोरवेल एवं हेण्ड पंप में रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु रिचार्ज पिट निर्माण कार्य किये जाने हेतु किया गया है, जिसमें आवश्यकता अनुरुप कार्यादेश प्रदान कर भुगतान किया जावेगा। इस कार्य हेतु CG PHE SOR 2020 में उपलब्ध मॉडल अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण किया जाना है। कार्य अवधि में मूल्य वृद्धि के लिए ठेकेदार स्वयं जिमेदार रहेंगे, भुगतान की कार्यवाही अनुबंध के दर के अनुरुप ही की जावेगी।

14. अतिरिक्त कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार उपाये जाने पर SOR के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)